

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक:- 05.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



एण्टीरोमियो टीम ने अभियान के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारों के प्रति किया गया जागरुक...।

आज दिनांक 05.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में महिलाओं व बालिकाओं में स्रक्षा की भावना और अधिक स्दूढ किये जाने के उद्देश्य से एण्टी रोमियो स्क्वाड म0उ0नि0 शिल्पी शुक्ला, महिला थाना के नेतृत्व में टीम ने थाना श्रीनगर के ग्राम लुहेड़ी में जाकर वहां उपस्थित सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को जागरुक किया गया, जिसमें उ0नि0 शिल्पी शुक्ला ने जागरुक करते हुये कहा कि सभी बालिकायें/महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरुक रहें आज के समय में बालिकायें किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है आप अपनी शक्ति को पहचाने इसी क्रम में कहा कि स्कूल या बाजार में आते जाते समय हमेशा सतर्क रहें और रास्ते में यदि कोई आपका पीछा करता है या कोई अपशब्द/अश्लील बातें या फब्तियां कसता है तो आप सभी को अपने सम्मान, अपनी सुरक्षा व स्वावलंबन के प्रति जागरुक होकर तत्काल असामाजिक तत्वों के विरुद्ध हेल्पलाइन नम्बरों- 112, 181, 1090, 1076 या अपने नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें या फिर पुलिस के ट्वीटर हैंडल @mahobapolice का भी प्रयोग कर शिकायत दर्ज कराते हुये शोहदों को उनका सबक सिखायें इसी क्रम में सभी को जनपद के प्रमुख अधिकारियों के सीयूजी नंबरो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें साइबर अपराध एवं महिला कानूनों की भी जानकारी भी दी जा रही है।













<u>प्रेस विज्ञप्ति</u> दिनांकः- 05.07.2021



सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग एवं लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील



आज दिनाँक 05.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने क्षेत्रों के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, होटल, ढाबा आदि जगहो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई एवं लोगो को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरुक करते हुए कोविड गाइड लाइन का पालन करने की अपील की गई, लोगो को बताया गया कि खतरा अभी टला नहीं है, मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी बनाकर रखे।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर 31 ई-चालान व कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर 11 व्यक्तियों से 1300/-रु0 शुल्क वसूला गया।



